सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2015/00120 दर्ज तिथिः—26.10.2015

1. करणसिंह पुत्र जवारसिंह
2. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र करणसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र करणसिंह
5. छोटुसिंह पुत्र करणसिंह
6. भंवरी कंवर पत्नी करणसिंह
   जाति राजपूत निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. पदमसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
2. हीरसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
3. शैतानसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
4. नरपतसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
   जाति राजपूत निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी
5. कैलाश कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी मूलसिंह
   जाति राजपूत निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाडमेर
6. पारस कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी दुर्गसिंह
   जाति राजपूत निवासी बूठ जैतमाल तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
7. सुबा कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी गणपतसिंह
8. शोभा कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी कृष्णसिंह
   जाति राजपूत निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी
9. लीला कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी फुलसिंह
   जाति राजपूत निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
10. धापू पत्नी भगसिंह उर्फ भगा
    जाति राजपूत निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

11. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
12. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.11.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 166/3.0999 है0, 184/6.6530 है0, 353/3.8121 है0, 330/6.7016 है0, 370/0.0243 है0, 186/8.7088 है0 मौजा गादेवी एवं खसरा संख्या 286/5.1395 है0 मौजा गादेश्वरी पटवार मण्डल बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.07.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/2353 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/2353 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 05.11.2024 को त़हसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/974—989 दिनांक 24.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.11.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक/2024/974—989 दिनांक 24.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 05.11.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 166/3.0999 है0, 184/6.6530 है0, 353/3.8121 है0, 330/6.7016 है0, 370/0.0243 है0, 186/8.7088 है0 मौजा गादेवी एवं खसरा संख्या 286/5.1395 है0 मौजा गादेश्वरी पटवार मण्डल बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 166/3.0999 है0, 184/6.6530 है0, 353/3.8121 है0, 330/6.7016 है0, 370/0.0243 है0, 186/8.7088 है0 मौजा गादेवी एवं खसरा संख्या 286/5.1395 है0 मौजा गादेश्वरी पटवार मण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कैलाशकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 पारसकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 लीलाकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 शोभाकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 सुबाकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 धापुकंवर पत्नी भगा हिस्सा 1/10 नरपतसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 पदमसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 शैतानसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 हीरसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन—कैलाशकंवर, पारसकंवर, लीलाकंवर, शोभाकंवर, सुबाकंवर पुत्री भगा, धापुकंवर पत्नी भगा, नरपतसिंह, पदमसिंह, शैतानसिंह, हीरसिंह पुत्र भगा—रहन हिस्सा पूर्ण खाता एसबीबीजे गुड़ामालानी	गादेवी गादेवी गादेश्वरी	330 184 286	6.7016 6.6530 3.7150	बा.दो. बा.दो. बा.सो.
	कुल किता 03 रकबा 17.0696 है0			
भंवरीकंवर पत्नी करणसिंह हिस्सा 67825/170696 करणसिंह पुत्र जवारा हिस्सा 33629/170696 अर्जुनसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 नाबालिग छोटूसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 नरपतसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 धर्मेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	गादेवी गादेवी गादेवी गादेवी गादेश्वरी	370 166 353 186 286	0.0243 3.0999 3.8121 8.7088 1.4245	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.सो.
	कुल किता 05 रकबा 17.0696 है0			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2015/00120 दर्ज तिथिः—26.10.2015

1. करणसिंह पुत्र जवारसिंह
2. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र करणसिंह
4. नरपतसिंह पुत्र करणसिंह
5. छोटुसिंह पुत्र करणसिंह
6. भंवरी कंवर पत्नी करणसिंह
   जाति राजपूत निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. पदमसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
2. हीरसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
3. शैतानसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
4. नरपतसिंह पुत्र भगसिंह उर्फ भगा
   जाति राजपूत निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी
5. कैलाश कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी मूलसिंह
   जाति राजपूत निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाडमेर
6. पारस कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी दुर्गसिंह
   जाति राजपूत निवासी बूठ जैतमाल तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
7. सुबा कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी गणपतसिंह
8. शोभा कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी कृष्णसिंह
   जाति राजपूत निवासी चकगुड़ा तहसील गुड़ामालानी
9. लीला कंवर पुत्री भगसिंह उर्फ भगा पत्नी फुलसिंह
   जाति राजपूत निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
10. धापू पत्नी भगसिंह उर्फ भगा
    जाति राजपूत निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

11. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
12. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 166/3.0999 है0, 184/6.6530 है0, 353/3.8121 है0, 330/6.7016 है0, 370/0.0243 है0, 186/8.7088 है0 मौजा गादेवी एवं खसरा संख्या 286/5.1395 है0 मौजा गादेश्वरी पटवार मण्डल बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कैलाशकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 पारसकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 लीलाकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 शोभाकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 सुबाकंवर पुत्री भगा हिस्सा 1/10 धापुकंवर पत्नी भगा हिस्सा 1/10 नरपतसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 पदमसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 शैतानसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 हीरसिंह पुत्र भगा हिस्सा 1/10 जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन—कैलाशकंवर, पारसकंवर, लीलाकंवर, शोभाकंवर, सुबाकंवर पुत्री भगा, धापुकंवर पत्नी भगा, नरपतसिंह, पदमसिंह, शैतानसिंह, हीरसिंह पुत्र भगा—रहन हिस्सा पूर्ण खाता एसबीबीजे गुड़ामालानी	गादेवी गादेवी गादेश्वरी	330 184 286	6.7016 6.6530 3.7150	बा.दो. बा.दो. बा.सो.
	कुल किता 03 रकबा 17.0696 है0			

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested

भंवरीकंवर पत्नी करणसिंह हिस्सा 67825/170696 करणसिंह पुत्र जवारा हिस्सा 33629/170696 अर्जुनसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 नाबालिग छोटूसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 नरपतसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 धर्मेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 34621/341392 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	गादेवी गादेवी गादेवी गादेवी गादेश्वरी	370 166 353 186 286	0.0243 3.0999 3.8121 8.7088 1.4245	बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.सो.
	कुल किता 05 रकबा 17.0696 है0			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.02 19:39:57 IST
Reason: SelfAttested